न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 56/2019

राजेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिह जाति कुम्हार निवासी केसरीसिहपुर तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

दिनांक : 19/8/2019

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 8 के मु.न. 45 में प्रार्थी का नाम गलती से राजकुमार पुत्र अमर सिह दर्ज हो गया जबकि आधार कार्ड नम्बर 944928478103, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अमर सिह दर्ज है। अब उक्त जमाबन्दी में राजकुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिह दर्ज करने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर आटीए की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारन को जरिए सम्मन तलब किया गया। सहखातेदार गोगाबाई, बनवारी लाल, काशीराम ने न्यायालय में उपस्थिति आकर शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 यु की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 8 के मु.न. 45 में हमारे पुत्र/भाई राजकुमार के नाम भूमि दर्ज हो गई है। राजकुमार नाम का हमारा कोई पुत्र/भाई नही है। राजस्व रिकॉर्ड में हमारे पुत्र/भाई का नाम राजकुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दुरूस्त किया जाना उचित है। सहखातेदार मुन्शी राम ने न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली पर अंकित किया कि यदि उक्त जमाबन्दी में मेरे भाई का नाम राजकुमार के स्थान पर राजेन्द्र किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 4 यु की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के मु.न. 45 में प्रार्थी का नाम राजकुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र संख्या डब्ल्यू ई जैड/0974147, आधार कार्ड संख्या 9449284781013 में नाम राजेन्द्र कुमार अंकित है। सहखातेदारन के द्वारा इसके सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का नाम सही किया जाना उचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के मु.न. 45 में प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र अमर सिह के स्थान पर राजकुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुतर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Reena

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner